

न्यायालय :- माखनलाल झोड, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला - बैहर

S.T.No./16/2017
Filling No. ST/ 69/2017
CNR MP50050001842017
संस्थित दिनांक-27.08.2015

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर
जिला-बालाघाटअभियोजन।

// / विरुद्ध // /

कमलेश चुटेले पिता गोपी प्रसाद चुटेले, उम्र-28 वर्ष,
निवासी-टाऊनशीप क्वार्टर नम्बर-ए3/63, मलाजखण्ड
जिला-बालाघाटअभियुक्त।

===== श्री
अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते अभियोजन।
श्री रमेश दुबे, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-कमलेश
=====

निर्णय

(आज दिनांक 18 जनवरी 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त कमलेश पर आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 12.06.15 की करीब 12.30 बजे दिन में बैहर, थाना-बैहर, जिला-बालाघाट स्थित यात्री प्रतिकालय बैहर से अभियोजनी को विवाह करने का प्रलोभन देकर अयुक्त संभोग कारित करने के आशय से अपहरण किया, तत्पश्चात् अभियुक्त ने अपने कमरे पर ले जाकर फरियादिनी को जान से मारने की धमकी देकर फरियादिनी की सहमति को नियंत्रित करने की स्थिति में रहकर अयुक्त संभोग कर बलात्संग किया तथा अभियुक्त ने फरियादिनी के साथ एक से अधिक बार, अथवा बार-बार अयुक्त संभोग कर, बार-बार बलात्संग किया, फरियादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया तथा फरियादिनी द्वारा विरोध करने पर खौलता हुआ पानी डालकर उसे जलाकर घोर उपहति कारित की अथवा जांघ व पीठ पर उपहति कारित की।

2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरक्षक क्रमांक 1200 बब्लू ने आरोपी-कमलेश पिता गोविंद प्रसाद, उम्र-28 वर्ष को परीक्षण हेतु दोपहर 01.20 बजे लाया था तब परीक्षण किया था, डॉ. एम.एस. कुमरे (अ.सा.-06) का यह कहना सही है कि अभियुक्त संभोग करने हेतु सक्षम था, श्रीमती पूर्णिमा राणा (अ.सा.-10) ने साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त-कमलेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी. 14 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं और ब से ब भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं।

3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 12.06.15 को मुकेश ने उसके चाचा की लड़की पीड़िता, बबीता एवं गनेशी के साथ सप्लीमेंट्री का फार्म भरने के लिये बैहर गई थी शाम 06.00 बजे बबीता एवं गनेशी ने पोंगार आमगांव आकर बताया कि संगीता बैहर से मामूल नहीं कहां चली गई है। उसकी खोज-खबर की नहीं मिली, तब दिनांक 14.06.15 को गुमशुदा की रिपोर्ट लेख कराई। दिनांक 24.07.15 को 13.10 बजे पीड़िता उसके माता-पिता के साथ थाना आई, दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया, कथन लेख किया गया, कथन में बताया कि वह दिनांक 12.06.15 को करीब 12.30 बजे यात्री प्रतिकालय बैहर में बैठी थी। बबीता, गनेशी आम खरीदने चली गई, उसी समय प्रार्थी के पहचान का लड़का कमलेश आया और पूछा कहां आई हो, उसे बताया कि वह सप्लीमेंट्री का फार्म जमा करने आई थी, जिसकी पावती लेना है।

4. तब कमलेश बोला अग्रवाल कम्प्यूटर वाला उसकी पहचान का है, उसके साथ चलो जल्दी पावती दिला देगा। वह बोली की उसकी बहन आम लेने गई है आ जाने दो, तब कमलेश बोला कि उनके आने के पहले पावती लेकर आ जायेंगे। उसे मोटरसाईकिल पर बैठाकर मलाजखण्ड तरफ भगाकर ले जाने लगा तब उससे कहा कि इधर कहां ले जा रहे हो, वह कुछ नहीं बोला। वह इतनी तेज मोटरसाईकिल चलाकर ले जाने लगा कि पीड़िता मोटरसाईकिल से कूद भी नहीं सकी। कमलेश मलाजखण्ड में उसके कमरे में ले गया, जान से मारने की

धमकी देकर पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया, मण्डला ले जाकर मंदिर में जबरदस्ती डरा-धमका कर शादी की, लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, माता-पिता के पास जाने की जिद करती है कहकर कमलेश ने गर्म पानी पीड़िता के ऊपर डाला, जिससे दाहिनी जांघ, पीठ जल गई है के आधार पर प्रथम सूचना क्रमांक-109/15 धारा-366, 367, 452, 326, 506 भा.द.वि. के अधीन कायमी कर अनवेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया।

5. धारा-366, 376(2) (के), 376 (2) (एन), 506 (II), 326 विकल्प में 324 भा.द.वि. का आरोप तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमान् जे.एम. चतुर्वेदी द्वारा तैयार कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध सुन-समझकर अपराध करना अस्वीकार किया। अभिवाक लेख किया गया, धारा-313 द.प्र.सं. के अधीन अभियुक्त ने साक्षीगण झूठ बोलते हैं, रंजिश रखते हैं, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है बचाव दिया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या दिनांक 12.06.15 को दोपहर लगभग 12.30 बजे यत्री प्रतिकालय बैहर से अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ विवाह करने के आशय से अथवा अयुक्त संभोग करने हेतु अभियोक्त्री का व्यपहरण किया ?
2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्तानुसार व्यपहरण कर मलाजखण्ड जाकर अभियोक्त्री के साथ अभियोक्त्री की इच्छा अथवा सहमति के बिना अयुक्त संभोग किया/बार-बार अयुक्त संभोग किया ?
3. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.06.15 को व्यपहरण कर लेने के बाद अभियोक्त्री से अयुक्त संभोग करने के पूर्व जान से मार देने की धमकी देकर आपराधिक संत्रास कारित किया ?
4. क्या दिनांक 12.06.15 के पश्चात् तथा दस्तयाबी दिनांक 24.07.15 के पूर्व अभियुक्त ने अभियोक्त्री के शरीर पर

स्वेच्छया गर्म पानी फेंककर घोर उपहति अथवा उपहति कारित की ?

विचाराणीय प्रश्न क्रमांक-1, 2, 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष

7. अभियोक्त्री/पीडिता पुत्री रमेश ने न्यायालयीन कथन के पत्र क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि वह उपस्थित अभियुक्त कमलेश को पहचानती है, दिनांक 12.06.15 को वह कक्षा 10वीं का सप्लीमेंट्री फार्म जमा करने बैहर आई थी करीब 12.30 बजे वह बैहर बस स्टेण्ड में प्रतिकक्षालय में बैठी थी। साक्षी की बहन बबीता, गनेशी भी वहाँ बैठी थी, उसी समय मलाजखण्ड का रहने वाला अभियुक्त-कमलेश चुटेले आया, साक्षी से पूछने लगा कि कहां आई हो तो साक्षी ने कहा कि वह सप्लीमेंट्री फार्म जमा करने आई है जिसकी पावती लेना भूल गई है। तब अभियुक्त-कमलेश ने साक्षी को बोला कि चलो वह पावती दिला देता है, यहां कब तक बैठोगी, तब साक्षी को जबरदस्ती मोटरसाईकिल पर बैठा लिया और तेज रफ्तार से चलाते हुये मलाजखण्ड ले गया ।

8. पद क्रमांक 1 में ही साक्षी ने कथन किया है कि साक्षी ने कहा कि उसे नहीं जाना है, साक्षी के मना करने के बाद भी अभियुक्त तेज मोटरसाईकिल चलाकर ले जाने लगा। अभियुक्त इतनी तेज मोटरसाईकिल चला रहा था कि वह मोटरसाईकिल से कूद भी नहीं सकती थी, अभियुक्त ने साक्षी को अपने कमरे में ले गया। उसके कमरे में कोई नहीं था वह अकेला था। इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 में साक्षी दी है कि अभियुक्त ने साक्षी को चाकू दिखाकर डराने-धमाके लगा तथा जबरदस्ती कमरे में रखकर साक्षी के साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा बलात्कार किया। अभियुक्त ने साक्षी को 9 दिन कमरे में रखा था, उसके बाद अभियुक्त ने उसकी बहन के घर ले गया, मण्डला में एक मंदिर में ले जाकर साक्षी की इच्छा के बिना शादी किया, वहां भी साक्षी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था।

9. इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 लगायत पद क्रमांक 20 में आई साक्ष्य से खण्डन नहीं है। सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में विवाह हो जाने के आधार पर शारीरिक संबंध स्थापित होना, बचाव लिया है। शादी के पूर्व के शारीरिक संबंध में अभियोक्त्री सहमत पक्षकार थी, आधार लिया गया है किन्तु अभियोक्त्री ने उसकी सहमति थी से इंकार किया है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में अभियोक्त्री की साक्ष्य का अभिलेख पर खण्डन नहीं है।

10. रमेश (अ.सा.-02) ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 में साक्षी दी है कि वह उपस्थित अभियुक्त कमलेश को जानता है, प्रार्थिया साक्षी की लड़की है जो कक्षा 10वी, में पढ़ती थी उसे सप्लीमेंट्री आई थी जिसका फार्म भरने बैहर गई थी, पावती लेने बैहर गई थी उसके साथ उसकी छोटी बहन बबीता तथा सहेली गनेशी गई थी, घटना इसी वर्ष जून माह की है, शाम को करीब 06.00 बजे बबीता और गनेशी घर वापस आई, उन्होंने बताया कि अभियोक्त्री उनके साथ बस स्टेण्ड में बैठी थी, आम खरीदने के लिये कहीं चले गये थे, जब वे लोग वापस आये तो अभियोक्त्री बैहर बस स्टेण्ड से पता नहीं कहां चली गई थी। साक्षी ने उसके बड़े भाई के पुत्र तिजूलाल के साथ स्वयं के पुत्र को बैहर भेजा था पर लड़की का कहीं पता नहीं चला था, लड़की घुमने की रिपोर्ट साक्षी के भतीजे मुकेश को थाना भेजकर कराया था।

11. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि जब लड़की वापस आई तो उसने बताया कि दिनांक 12.06.15 को करीब 12.00 बजे वह बैहर बस स्टेण्ड के प्रतिकालय में बैठी थी, बबीता व गनेशी दोनों आम खरीदने चली गई थी, उस समय उसके पहचान का लड़का मलाजखण्ड का अभियुक्त कमलेश चुटेले आया और उससे पूछा कि कहां आई हो तो लड़की ने बोला कि 10वीं कक्षा का सप्लीमेंट्री का फार्म जमा करने आई थी उसकी पावती लेना है, तब अभियुक्त ने बोला कि स्कूल में उसके पहचान के है जल्दी पावती दिला देगा। तब लड़की ने कहां कि उसकी बहन लोग आम खरीदने गये है उनको आ जाने दो, तब अभियुक्त कमलेश ने बोला कि उनके आने से पहले ही पावती लेकर

आ जायेंगे। ऐसा बोला कर मोटरसाईकिल में बैठा लिया था और सीधे मलाजखण्ड गया था, उसके घर में कोई नहीं थे लड़की से बोलने लगा कि तुमने जाने की कोशिश की तो जान से मार डालेगा, धमकी देकर लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था 9 दिन तक मलाजखण्ड में रखा था, उसके बाद मण्डला में ले जाकर एक मंदिर में जबरदस्ती शादी की थी।

12. इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 लगायत 15 में दिये गये सुझावों को साक्षी ने इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त अभियोक्त्री को साथ ले गया था, स्वयं नहीं देखा है।

13. श्रीमती सूरमिला (अ.सा.-03), मुकेश (अ.सा.-05), समुदा बलके (अ.सा.-07), डॉ. गीता बाघमारे (अ.सा.-09) की साक्ष्य में विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के निराकरण हेतु साक्ष्य नहीं है, इसलिये लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

14. बबीता (अ.सा.-04) के मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 व 2 में लेख साक्ष्य में लेख है कि अभियोक्त्री उसकी बड़ी बहन है, पीछे वर्ष गर्मी के समय साक्षी स्वयं, गनेशी और अभियोक्त्री बैहर गये थे साक्षी की बहन को सप्लीमेंट्री आई थी उसका फार्म भरने के लिये घटना दिनांक को वह गई थी, बैहर धर्मशाला में पानी पीये, उसके बाद साक्षी और गनेशी आम खरीदने गये, अभियोक्त्री वहां बैठी हुई थी, जब वे आम खरीदकर वापस आये तो अभियोक्त्री वहां पर नहीं थी, इधर-उधर ढुंडा वहां नहीं मिली, इसके बाद वह घर जाकर माता-पिता को घटना की जानकारी थी, साक्षी का भाई भी अभियोक्त्री को ढूँढने गया था वह नहीं मिली थी।

15. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि उसकी बहन अभियोक्त्री घटना के एक माह बाद 12 तारीख को वापस अकेले घर आई थी उसने बताया था कि उसे एक लड़का कमलेश मिला था, उसने बोला कि पावती दिला देता है, तब उसकी बहन ने उससे

कहा कि वह नहीं जायेगी, लेकिन वह लड़का कमलेश उसे जबरदस्ती गाडी में बैठाकर बैहर से मलाजखण्ड ले गया, उसने 10 से 12 दिन उसे मलाजखण्ड में रखा, उसके बाद मण्डला ले गया।

16. इसी साक्षी ने सूचक प्रश्न के उत्तर में पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि उसकी बहन अभियोक्त्री ने उसे यह बताया था कि कमलेश ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। यह भी बताया था कि आरोपी ने उसे मंडला में उसकी बहन के घर 10 दिन तक रखकर मंदिर में उसके साथ जबरदस्ती डरा धमकाकर शादी की और लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। (अ.सा. 4) बबीता के प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 4 लगायत 8 में मुख्य कथन के पद क्र. 1 और 2 तथा सूचक प्रश्न के उत्तर में लेख कराई गई पद क्र. 3 की साक्ष्य का खण्डन नहीं है।

17. डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा. 6) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.07.15 को पुलिस थाना बैहर के आरक्षक 1200 बबलू ने कमलेश पिता गोपीप्रसाद चुटेले को परीक्षण हेतु लाने पर साक्षी ने 01.20 बजे उसका परीक्षण किया था, साक्षी के मतानुसार व सम्भोग करने में सक्षम था। इस तथ्य को चुनौती नहीं दी है।

18. भुवन प्रधान आरक्षक (अ.सा. 8) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.06.15 को वह थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। मुकेश की सूचना के आधार पर थाना बैहर में गुम इंसान क्र. 12/15 दर्ज की थी जो प्रदर्श पी 8 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है, तत्पश्चात् रोजनामचा सान्हा क्र. 664/15 दर्ज किया था। मुकेश ने सूचना दी थी कि उसके चाचा की लड़की कुमारी (नाम लेख नहीं किया जा रहा है) मरटे दिनांक 12.06.15 से गायब हो गई है। प्रतिपरीक्षण में पद क्र. 3 में साक्षी ने कथन किया है कि गुम इंसान अभियोक्त्री की उम्र 19 वर्ष बतायी थी। यह इनकार किया है कि गुम इंसान कायमी साक्षी ने अपने मन से की थी।

19. डॉ. गीता बारमाटे (अ.सा. 9) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.07.15 को वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में महिला चिकित्सा

अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। अभियोक्त्री पिता रमेश उम्र 19 वर्ष जाति मरार निवासी पोगारटोला आमगांव को थाना बैहर से महिला आरक्षक समुदा वल्के के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के लिये साक्षी के समक्ष लाया था उसकी जांघ और पीठ पर पुराने जले के निशान थे। अभियोक्त्री का हाइमन पुराना फटा हुआ था। साक्षी ने अभिमत लेख किया है कि अभियोक्त्री सम्भोग की अभ्यस्त थी, परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 ए है जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

20. श्रीमती पूर्णिमा राणा (अ.सा. 10) ने अपराध क्रमांक 109/15 अन्वेषण अधिकारी है जिसके मुख्य कथन और प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य का गुण-दोष पर निराकरण हेतु विपरीत प्रभाव न होने से उसे लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

21. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश दुबे (जिला एवं सत्र न्यायालय मण्डला) द्वारा किये गये विस्तृत तर्कों को विचार में लिया गया। सम्पूर्ण तर्क अभियोक्त्री और अभियुक्त द्वारा मण्डला के दुर्गा मंदिर में बचाव साक्षी क्रमांक 1 दीपक कुमार उपाध्याय द्वारा दिनांक 25.06.15 को सम्पन्न कराये जाने तथा अभियोक्त्री (अ.सा. 1) द्वारा प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 15 में साक्षी ने कथन किया है कि साक्षी की शादी वहां के पंडितजी दीपक उपाध्याय ने कराया था, शादी के बाद वे दोनों लोग अभियुक्त की बहन के घर 10 दिन तक पति-पत्नी की तरह रुके थे।

22. उक्त विवाह के आधार पर श्री रमेश दुबे अधिवक्ता तर्क कर निवेदन किया कि अभियोक्त्री स्वयं शादी के लिये रजामंद थी, अभियोक्त्री, अभियुक्त से शादी करना चाहती थी इसलिये वह स्वयं बैहर से अभियुक्त के साथ मलाजखण्ड गई थी, मलाजखण्ड जाकर अभियुक्त के साथ ठहरी थी, बाद में मण्डला जाकर दोनों ने शादी की थी। शादी के बाद शादी के पंजीयन हेतु प्रदर्श डी 1, प्रदर्श डी 2, प्रदर्श डी 3, प्रदर्श डी 4, प्रदर्श डी 5 के दस्तावेज तैयार कर हस्ताक्षर किये थे तथा प्रदर्श डी 6, प्रदर्श डी 7 और प्रदर्श डी 8 के छायाचित्र विवाह अवसर के

हैं। अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, दोषमुक्त किये जाने की याचना की है।

23. राज्य की ओर से श्री अभिजीत बापट अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने उक्त तर्क के उत्तर में निवेदन किया है कि इस न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री और अभियुक्त की शादी के बाद उनके मध्य हुये यौन सम्बंध के बारे में कोई विचारणीय प्रश्न नहीं है, इसलिये बचाव पक्ष का सम्पूर्ण तर्क निर्णय के लिये उपयोगी नहीं है।

24. श्री अभिजीत बापट अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने तर्क कर यह निवेदन किया कि बचाव पक्ष अभियुक्त और अभियोक्त्री का विवाह सम्पादित होना अपना पक्ष रख रहा है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त, अभियोक्त्री से विवाह करना चाहता था किन्तु अभियोक्त्री (अ. सा. 1) ने विवाह हेतु अपनी सहमति होना साक्ष्य में इनकार किया है। अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ स्वेच्छयापूर्वक अथवा अपनी मर्जी से घटना दिनांक को अभियुक्त की मोटरसाईकिल पर बैठकर मलाजखण्ड जाना इनकार किया है। श्री बापट द्वारा साक्ष्य की यह पंक्ति उद्धृत की कि— अभियुक्त इतनी तेज गति से मोटरसाईकिल चला रहा था कि वह मोटरसाईकिल से कूद भी नहीं सकती थी। यह स्पष्ट साक्ष्य अभियोक्त्री को अपहृत करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य है।

25. श्री अभिजीत बापट अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने तर्क कर यह भी निवेदन किया कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने अभियोक्त्री को धमका कर शारीरिक सम्बंध बनाये थे, उस समय अभियोक्त्री शारीरिक सम्बंध बनाने हेतु सहमत पक्षकारा नहीं थी, के बाबत् स्पष्ट कथन अभिलेख पर है। इस साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त घटना दिनांक को अभियोक्त्री को व्यपहरण कर विवाह पूर्व अयुक्त सम्भोग करने के लिये अपने मोटरसाईकिल पर ले गया था।

26. अभिलेख पर आयी उपरोक्त साक्ष्य और उभयपक्षों के तर्कों के आधार पर साथ ही प्रदर्श डी 1 लगायत प्रदर्श डी 9 की दस्तावेजी साक्ष्य को गहनता में विचार में लेने के पश्चात् यह संदेह से परे अभिलेख पर प्रमाणित है कि विचाराधीन अभियुक्त ने घटना दिनांक 12.

06.15 को अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच विवाह करने सम्बंधी किसी प्रकार के विचार विमर्श अथवा उनके मध्य मानसिक रूप से प्रेम सम्बंध स्थापित होने के आधार के बिना अभियोक्त्री को फार्म की पावती दिलवाता हूं कहकर धोखे में रखकर अपनी मोटरसाईकिल पर अप्रैल 2015 में एक विवाह समारोह में हुये परिचय के आधार पर शीघ्र वापिस आते हैं कहकर बैठालकर यात्री प्रतिकालय बैहर से अभियोक्त्री को ले गया किन्तु पावती प्राप्त होने वाले स्थान पर न ले जाकर अपने वाहन को बहुत अधिक तेज गति से मलाजखण्ड की ओर अभियोक्त्री की इच्छा के बिना ले गया। है।

27. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि ६ टना दिनांक को ही अभियोक्त्री की इच्छा के बिना अथवा अभियोक्त्री की सहमति के बिना अभियुक्त ने यौन सम्बंध स्थापित कर बलात्संग कारित किया। अभिलेख पर अभियोक्त्री के कथन में दिनांक 12.06.2015 को बलात्संग कारित किए जाने के पश्चात् लगातार 9 दिवस की अवधि में जो मंदिर में हुए विवाह के पूर्व का समय है, में अभियुक्त द्वारा बलात्संग किए जाने का कथन नहीं है, इसलिए धारा 376 (2) (ढ) भा.द. वि. का अपराध प्रमाणित नहीं है। शेष अपराध धारा 366, 376 (2) (के) भा.द.वि. बाबद् अभियोक्त्री की साक्ष्य में स्पष्ट कथन है, धारा 366, 376 (2) (के) भा.द.वि. का अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। उक्तानुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 3 एवं विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 अभिलेख पर प्रमाणित पाए जाते हैं।

विचाराणीय प्रश्न क्रमांक-4 का साक्ष्य के आधार पर

निष्कर्ष

28. अभियोक्त्री (अ.सा.1), रमेश (अ.सा. 2), सुर्मिला (अ.सा. 3), बबीता (अ.सा. 4), मुकेश (अ.सा. 5), डॉ. गीता बारमाटे (अ.सा. 9) के संपूर्ण कथनों में धारा 326 विकल्प में धारा 324 भा.द.वि. के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु संदेह से परे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चिकित्सक साक्षी डॉ. गीता बारमाटे (अ.सा. 9) ने अभियोक्त्री के शरीर पर पाए गए

निशान पुराने होना मात्र कथन किया है, किस अवधि के है, इस बारे में साक्ष्य नहीं है। रमेश (अ.सा. 2) ने साक्ष्य दी है कि उपचार कराया है, पर्ची है, दवाई क्रय की है, किंतु तत्संबंध में ओ.पी.डी. पर्ची, दवाई क्रय करने के बिल तथा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य अभिलेख पर न होने से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 326 विकल्प में 324 भा.द.वि. का प्रमाणित नहीं है।

29. अतः अभियुक्त कमलेश को धारा 326 विकल्प में धारा 324 तथा धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त कमलेश के विरुद्ध धारा 366, 376 (2) (के) भा.द.वि. का अपराध प्रमाणित पाए जाने से दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालागाट
श्रृंखला बैहर

30. अभियुक्त तथा अभियुक्त के अधिवक्ता श्री राजकुमार सोनकुसरे को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि प्रथम अपराध है। अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच विवाह हो चुका है। नरम रुख अपनाया जावे। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, उसकी माता अकेली है। अभियुक्त का कोई भाई नहीं है, केवल बहनें हैं इसलिए उसकी माता की देखरेख का दायित्व अभियुक्त पर है। अभियुक्त नवयुवक है।

31. राज्य की ओर से तर्क किया गया कि विवाह अभियोक्त्री की मर्जी से नहीं किया गया था। अभियोक्त्री का परिजनो ने अभियोक्त्री की मर्जी अनुसार विवाह अन्यत्र कर दिया है, प्रतिपरीक्षण में इस बाबद साक्ष्य है, इसलिए अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त के वैवाहिक जीवन व्यतीत करने हेतु प्रश्न नहीं है। जहाँ तक माता का सवाल है तो अभियुक्त की 2 या 3 बहनें हैं जो पेंशनर माता का ख्याल रख सकती

है। उचित दण्ड दिए जाने की याचना की है।

32. दण्ड पर उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्क को विचार में लिया गया। विचार बाद निम्नानुसार दण्डाज्ञा पारित की जाती है:-

A- धारा 366 भा.द.वि. के आरोपित अपराध हेतु **07 वर्ष (सात वर्ष)** के सश्रम कारावास और **5,000/- (पांच हजार)** रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को **30 माह का अतिरिक्त कारावास** पृथक से भुगताया जावे।

B- धारा 376 (2) (के) भा.द.वि. के आरोपित अपराध हेतु **10 वर्ष (दस वर्ष)** के सश्रम कारावास और **5,000/- (पांच हजार)** रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को **42 माह का अतिरिक्त कारावास** पृथक से भुगताया जावे।

C- दोनों सज़ाएं साथ-साथ भुगताई जावे।

33. अभियुक्त दिनांक 25.07.2015 से 29.09.2015 तक **67** दिवस तथा दिनांक 10.11.2017 से आज दिनांक 18.01.2018 तक **70** दिवस अभिरक्षा में रहा है उसकी कुल न्यायिक अभिरक्षा की अवधि **137 दिवस** है जिसे सज़ा में अधिरोपित किया जावे। धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

34. मामले में जप्तशुदा संपत्ति वैजार्नल स्लाइड, सिमन स्लाइड मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला बैहर

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला बैहर